7980/VCO/2022
15/3/2022

SKBL
15.3.2022
(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

Dr. KA Pandey
Chair, Placement

Dr. Mridul
Please upload on the website
with the caption
"Apprenticeship Opportunity"
15/3/22

प्रेषक,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त कुलपति/रजिस्ट्रार,** राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र.।
2. **समस्त कुलपति/रजिस्ट्रार,** राज्य कृषि विश्वविद्यालय, उ.प्र.।
3. **कुलपति/रजिस्ट्रार,** डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. **कुलपति/रजिस्ट्रार,** डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक, विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. **समस्त प्रधानाचार्य/प्लेसमेंट प्रकोष्ठ,** प्रबंध संस्थान, व्यवसायिक संस्थायें (एन.एस.आई./आई.सी.ए.आई.सी.एम.ए./आई.सी.ए.आई.)।
6. **समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण** संस्थान।

पत्र संख्याः 5180/C /01/स्था./विविध–597 **दिनांकः** 04 ~~फरवरी~~ मार्च, **2022**

विषयः– शिशिक्षु अधिनियम 1961 (यथासंशोधित 2014) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में प्रशिक्षु कार्यक्रम (अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के चीनी उद्योग अनुभाग–1 के पत्र संख्याः–290/46–1–2022–2531/2017, दिनांक 17 फरवरी, 2021 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिशिक्षु अधिनियम 1961 (यथासंशोधित 2014) के क्रम में चीनी उद्योग अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–03/46–172531/2017, दिनांक 09 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्याः– 04/46–172531/2017, दिनांक 09 जनवरी, 2021 एवं पत्र संख्याः–1625/46–1–2021–2531/2017, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के अनुक्रम में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में प्रशिक्षु कार्यक्रम (इन्टर्नशिप एवं अप्रेन्टिस कार्यक्रम) हेतु अधीनस्थ संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धारित विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विभाग के पोर्टल upcane.gov.in पर आवेदन किये जाने के संबंध में वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त शासनादेश को प्रचारित/प्रसारित कराते हुए प्रशिक्षु कार्यक्रम (इंटर्नशिप एवं अप्रेन्टिस कार्यक्रम) के सम्बन्ध में अपने विश्वविद्यालय/संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को जागरूक करते हुए इच्छुक छात्रों को पोर्टल पर आवेदन करने हेतु अपने स्तर से

प्रयास करें ताकि प्रशिक्षु कार्यक्रम (इंटर्नशिप एवं अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम) की प्रगति से शासन को अवगत कराया जा सके। कृपया offline सम्पर्क करने हेतु मो.नं. 9451145082 पर सम्पर्क करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि</u>

भवदीय,

(डॉ. रूपेश कुमार)
अपर गन्ना आयुक्त (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या: /01/स्था./विविध–597/तद्दिनांकित्

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उ.प्र.शासन, चीनी उद्योग अनुभाग–1 को उनके उपर्युक्त पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बी.के.अरविन्द)
उप गन्ना आयुक्त
(मुख्यालय)

1711
17/02/2022

संख्या:290 /46-1-2022-2531/2017

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

D.C.O.(H.Q.)
A.O.(प्रशा.)
18.02.2022
18.2.2022

सेवा में,

1. समस्त कुलपति/रजिस्ट्रार, राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र.।
2. समस्त कुलपति/रजिस्ट्रार, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, उ.प्र.।
3. कुलपति/रजिस्ट्रार, डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. कुलपति/रजिस्ट्रार, डा. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक, विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. समस्त प्रधानाचार्य/प्लेसमेंट प्रकोष्ठ, प्रबंध संस्थान, व्यवसायिक संस्थायें (एन. एस.आई./आई.सी.ए.आई.सी.एम.ए.)/आई.सी.ए.आई.)।
6. समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

अ.आ.(प्रशा.)
17/02/2022
आयुक्त
गन्ना एवं चीनी, उ०प्र०

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2022

विषयः-शिशिक्षु अधिनियम **1961** (यथासंशोधित **2014**) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में प्रशिक्षु कार्यक्रम (अप्रेन्टिस कार्यक्रम) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः**65/89**-व्या.शि.कौ.वि.-**2017-8(147)/2005** दिनाक **27** जनवरी **2017** द्वारा शिशिक्षु अधिनियम **1961** (यथासंशोधित **2014**) के क्रम में चीनी उद्योग अनुभाग-**1** के शासनादेश संख्याः**03/46-172531/2017**, दिनांक **09** जनवरी, **2021**, शासनादेश संख्याः**04/46-172531/2017**, दिनांक **09** जनवरी, **2021** एवं पत्र संख्या-1625/46-1-2021-2531/2017, दिनांक 17 सितम्बर, **2021** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे अनुरोध कराने का निदेश हुआ है कि कृपया चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में प्रशिक्षु कार्यक्रम (इन्टर्नशिप

एवं अप्रेन्टिस कार्यक्रम) हेतु अपनी संस्थाओं में अध्धयनरत विधार्थियों को निर्धारित विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विभाग के पोर्टल **upcane.gov.in** पर आवेदन किये जाने के संबंध में वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः290 (1)/46-1-2022-2531/2017, दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
5. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ।
8. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
9. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहापुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. गन्ना समिति संघ, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।